पर्यटक आवास गृह रामनगर परिसर में 3000 वर्ग फिट खाली भूमि को 10+05 वर्षो के लिये किराये पर दिये जाने हेतु नियम व शर्ते

निविदा फार्म का मूल्यः– रू0 800/– जीएसटी सहित

निविदा फार्म :– रू0 800/– का भुगतान निगम मुख्यालय, पर्यटन कक्ष/कार पार्किंग, हल्द्वानी से प्राप्त किया जा सकता है ।

1– पर्यटक आवास गृह रामनगर मे 3000 वर्ग मीटर खाली भूमि को व्यावसायिक संचालन हेतु 10 वर्ष के लिये दिया जायेगा । कार्य संतोषजनक होने पर इसे आगे 5 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु निगम प्रशासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

2– पर्यटक आवास गृह रामनगर की खाली भूमि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दी जायेगी ।

3– निविदाकर्ता अनुबन्ध अवधि के बाहर किसी भी प्रकार का अनुबन्ध करने को स्वीकार नही होगा ।

4– विधुत का मीटर स्वयं लगाया जाना होगा तथा जल/विधुत एवं अन्य समस्त टैक्सों का भुगतान संचालनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा जो आई0टी0 एक्ट 2008 के अन्तर्गत वहन होगा ।

5– पर्यटक आवास गृह रामनगर के परिसर में संचालनकर्ता द्वारा कोई भी असामाजिक व अवैध्र गतिविधियां नहीं की जायेगी । यदि ऐसा किया जायेगा तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे व ऐसा करने पर अनुबन्ध निगम द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा ।

6– संचालनकर्ता द्वारा पर्यटक आवास गृह रामनगर की खाली भूमि में अतिरिक्त किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य निगम की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा । यदि निगम द्वारा इस हेतु अनुमति दी जाती है तो संचालनकर्ता अपने ही संसाधनों व व्यय पर इसका निर्माण करेगा ।

7– पर्यटक आवास गृह रामनगर में किसी तरह की क्षति हो जाने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा तथा क्षतिपूर्ति की वसूली संचालनकर्ता द्वारा जमा जमानत धनराशि से की जायेगी ।

8– किराये में प्रत्येक 03 वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी ।

9– किराये की राशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा ।

10– निविदा के साथ धरोहर राशि रू0 50 हजार (पच्चास हजार रूपये मात्र) की धनराशि की एफडीआर/ड्राफ्ट जो कि प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम से बन्धक /बना हो, निविदा के तकनीकी भाग के साथ जमा किया जाना आवश्यक होगा ।

11– अनुबन्ध सम्पादित होने के एक सप्ताह के भीतर संचालनकर्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि के 06 माह के किराये के बराबर बैक ड्राफ्ट निगम के नाम बन्धक हो को जमानत के रूप में जमा किया जाना होगा ।

12– प्रत्येक 06 माह के किराये की धनराशि को संचालनकर्ता द्वारा अग्रिम जमा किया जायेगा ।

13– निविदादाता को निविदा के साथ पैन कार्ड तथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

14– संचालनकर्ता द्वारा पर्यटक आवास गृह रामनगर की खाली भूमि पर किसी भी प्रकार का शोरगुल एवं ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जायेगा । आयोजन के लिये जिला प्रशासन एवं निगम द्वारा लागू नियमों का पालन किया जाना होगा ।

15– निविदा देने हेतु वार्षिक न्यूनतम धनराशि निगम द्वारा रू0 05 लाख + जी0एस0टी0 निर्धारित की गई है । इस धनराशि से अधिकतम धनराशि अंकित किये जाने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी ।

16– संचालनकर्ता द्वारा कूड़े के निस्तारण की समस्त व्यवस्था अपने स्तर से की जानी होगी, अन्यथा परिसर पर अव्यवस्था एवं गंदगी पाये जाने पर रू0 10,000/– पैनल्टी देय होगी ।

17– संचालन की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व अनुबन्ध के किसी भी बिन्दुओं का पालन नहीं होने पर तीन माह के नोटिस पर समाप्त कर दिया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र को उचित अवस्था में हस्तान्तरित करना होगा ।

18– निविदाकार द्वारा निविदा की तकनीकी भाग के साथ फार्म कय की रसीद मूल में सलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।

19– निविदाकार द्वारा निविदा के साथ रू0 100/– का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 के रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

20– निविदायें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल के कार पार्किंग स्थित निगम मुख्यालय /कार पार्किग हल्द्वानी से दिनांक 29.2.2020 से 6.3.2020 तक क्रय की जा सकती है । निविदा दिनॉक 7.3.2020 को अपरान्ह 12.00 बजे तक निगम मुख्यालय के टैण्डर बॉक्स में डाली जानी होंगी, जो कि दिनांक 7.3.2020 को अपराह्न 02.30 बजे खोली जायेंगी । निर्धारित समय के बाद प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

21– **निविदाकार द्वारा निविदा की तकनीकी भाग के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट /एफडीआर मूल में सलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।**

22– निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता को निविदा प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये निविदा प्रपत्र 1 (तकनीकी निविदा) जिसमें सम्बन्धित निविदादाता निविदा में प्रतिभाग करने के लिए न्यूनतम अर्हताओं का विवरण संलग्न करना होगा तथा प्रपत्र 2 (वित्तीय निविदा) को पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द कर उनके बाहर से निविदाकर्ता अपना /संस्था का नाम व प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 का अंकन करते हुए दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर बड़े लिफाफे के बाहर पर्यटक आवास गृह रामनगर की खाली भूमि हेतु निविदा शीर्षक अंकित करते हुए व्यक्तिगत रूप से निगम मुख्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व निविदा बॉक्स में डाली जानी होंगी । निविदा हेतु नियम तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

23— निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता की तकनीकी निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में निविदादाता के निविदा के वित्तीय भाग को नहीं खोला जायेगा ।

24— इस विलेख की किसी प्रकार का विवाद होने पर विवाद आर्विटेशन/निर्णायक द्वारा तय किया जायेगा, जिस हेतु प्रथम पक्ष के प्रबन्ध निदेशक पूर्ण आर्बिटेटर होंगे । किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नैनीताल होगा ।

25— प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को एक अथवा समस्त निविदाओ को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रहेगा ।

26— अन्य शर्तों का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर—

नाम—

पता—

पर्यटक आवास गृह रामनगर में 3000 वर्ग फिट खाली भूमि को पन्द्रह वर्षो के लिये किराये पर दिये जाने हेतु

तकनीकी निविदा फार्म

1– निविदादाता का नाम : ....

2– पिता का नाम: ....

3– फर्म का नाम: ....

4– पता: ....

5– दूरभाष: ....

6– ईमेल आईडी: ....

7– पैन कार्ड संख्या(प्रति संलग्न करें) : ....

8– जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या (प्रति संलग्न करें) : ....

9– फार्म कय की रसीद संख्या(प्रति संलग्न करें) ....

10– धरोहर राशि रू0 50 हजार का विवरण (प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक होगी) मूल मे संलग्न: ....

11– रू0 100/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 के रेवेन्यू टिकट के साथ निविदा के तकनीकी भाग के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर–

नाम–

पता–

कार्य का नाम :– पर्यटक आवास गृह रामनगर में 3000 वर्ग फिट खाली भूमि को पन्द्रह वर्षो के लिये किराये पर दिये जाने हेतु

वित्तीय निविदा फार्म

निविदादाता का नामः– . . . .

प्रतिवर्ष किराये की धनराशि :– . . . . +18 प्रतिशत जीएसटी

किराये की वार्षिक न्यूनतम धनराशि निगम द्वारा रू0 05.00 लाख + जी0एस0टी0 निर्धारित की गई है । इस धनराशि से अधिकतम धनराशि अंकित किये जाने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी ।

निविदाकार के हस्ताक्षर–

नाम–

पता–

Tender TRC